"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2009—वैशाख 18, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2009

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.— श्री सरजियस मिंज, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, कृषि एवं वन विभाग को दिनांक 19 से 29 अप्रैल, 2009 तक टोकियो, रेपिड एवं न्यूयार्क की शासकीय विदेश प्रवास पश्चात् दिनांक 30-04-2009 से 05-05-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, कृषि एवं वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2009

क्रमांक 2908/1070/21-ब/छ. ग./09.— राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहरित करते हुए उक्त न्यायाधीशों को सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थ करती है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

स. क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री रघुबीर सिंह, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर
2.	श्री चन्द्रभूषण सिंह पटेल, प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग
3.	श्रीमती माधुरी कातुलकर, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.
4.	श्रीमती अनुराधा खरे, प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर
5.	श्री प्रदीप कुमार दवे, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संजारी-बालोद	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मनेन्द्रगढ़
6.	श्री अरविंद सिंह चन्देल, विशेष न्यायाधीश, अन्तर्गत एस. सी./ एस. टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दुर्ग.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.
7.	श्री शिवमंगल पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.
8.	श्रीमती विमला सिंह कपूर, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा.
9.	श्री संजय सेंद्रे, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा

Raipur, the 24th April 2009

No. 2908/1070/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State of Chhattisgarh hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh withdrawing the services of the members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule from High Court, appoints them Judge of the Family Courts specified in column No. (3), they are directed to take over the charges in the Family Court.

S. No. (1)	Name of the Judicial Officers with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri Raghubir Singh, Judge Family Court, Korba	Judge, Family Court, Ambikapur
2.	Shri Chandrabhushan Singh Patel, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	Principal Judge, Family Court, Durg
3.	Smt. Madhuri Katulkar, Judge, Family Court, Bilaspur.	I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.
4.	Smt. Anuradha Khare, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	Judge, Family Court, Bilaspur
5.	Shri Pradeep Kumar Dave, Additional District & Sessions Judge, Sanjari-Balod.	Judge, Family Court, Manendragarh
6.	Shri Arvind Singh Chandel, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Durg.	I Additional Principal Judge, Family Court, Durg.
7.	Shri Shiv Mangal Pandey, II Additional District & Sessions Judge, Durg.	II Additional Principal Judge, Family Court, Durg.
8.	Smt. Vimla Singh Kapoor, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	Judge, Family Court, Janjgir-Champa.
9.	Shri Sanjay Sendray, I Additional District & Sessions Judge, Baloda-Bazar.	Judge, Family Court, Korba

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2009

क्रमांक 2914/1069/21-ब/छ. ग./09.— राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अनुशंसा के आधार पर सारिणी के खण्ड क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायायिक सेवा के अधिकारियों की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहरित करते हुए उनकी सेवायें, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सारिणी के खण्ड क्रमांक (3) में विनिर्दिष्ट जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अध्यक्ष के रूप में, उनके द्वारा उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, नियुक्त करने हेतु सौंपती है :—

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	पद एवं पदस्थापना का स्थान (3)
1.	श्री महेन्द्र राठौर, विशेष न्यायाधीश, अन्तर्गत एस. सी./एस. टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बिलासपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री बृजलाल तिड़के, विशेष न्यायाधीश, अन्तर्गत एस. सी./एस. टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कोरिया (बैकुण्ठपुर).
3.	श्री विजय भूषण सिंह, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कोरबा.
4.	श्री तुलाराम चुरेन्द्र, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अम्बिकापुर.
5.	श्री विनय कुमार कश्यप, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जगदलपुर.
6.	श्री निर्मल मिन्ज, तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर.

Raipur, the 24th April 2009

No. 2914/1069/XXI-B/C. G./09.—The State Government on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh hereby withdraws the services of the members of Higher Judicial Service specified in column No. (2), from High Court and placed their services at the disposal of Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department, Government of Chhattisgarh, Raipur for their appointment as President, District Consumer Disputes Redressal Forum as specified in column No. (3) from the date they assume charge in the said places :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Post and Place of Posting (3)
1.	Shri Mahendra Rathour, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Rajnandgaon.
2.	Shri Brijlal Tidke, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Raipur.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Koriya at Baikunthpur.
3.	Shri Vijay Bhushan Singh, I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Korba.
4.	Shri Tularam Churendra, I Additional District & Sessions Judge, Ambikapur.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Ambikapur.
5.	Shri Vinay Kumar Kashyap, I Additional District & Sessions Judge, Jadgalpur.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Jadgalpur.
6.	Shri Nirmal Minj, III Additional District & Sessions Judge, Raipur.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2009

क्रमांक/एफ 1/139/दो गृह/भापुसे/2001.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बी. एस. मरावी, भापुसे, महानिरीक्षक, नगर सेना (तत्कालीन महानिरीक्षक सरगुजा रेंज) को दिनांक 11-11-2008 से 26-01-2009 तक कुल 76 दिवस का विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री बी. एस. मरावी, भापुसे, महानिरीक्षक, नगर सेना (तत्कालीन महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज) को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एस. मरावी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ 5-67/2007/10-2.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 16 सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अनुसूची के कॉलम (6) में यथाविनिर्दिष्ट अवस्थित तथा सीमाओं सहित "आरक्षित वन" के रूप में बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला कबीरधाम, तहसील कवर्धा, वनमंडल कवर्धा, वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा

स. क्र.	वनखण्ड का नाम	प. ह. नं. एवं राजस्व गांव वनखण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माचापानी	कुंडपानी	183	9.280	**उत्तर** : कुंडपानी की सीमा रेखा अस्थाई, मुनारा क्र. 12, 13, 14, 15, 16 तथा 01.
			184	10.283	**पूर्व** : ग्राम कुंडपानी की सीमा रेखा अस्थाई, मुनारा क्र. 1, 2, 3 तथा 4.
			186	12.055	**दक्षिण** : संरक्षित वनखण्ड माचापानी के कक्ष क्र. 381 के मुनारा क्र. 04 से 11.
			187	4.882	**पश्चिम** : ग्राम कुंडपानी की सीमा रेखा अस्थाई, मुनारा क्रमांक 11 से 12.
			4	**36.500**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ 5-67/2007/10-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-67/2007/10-2, दिनांक 20-4-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 20th April 2009

No. F 5-67/2007/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act No. XVI of 1927), the State Government hereby, declares that it has been decided to consititute the lands specified in the schedule below with the situation and limits as specified in column (6) of the schedule as, namely :—

SCHEDULE

District Kabirdham, Tahsil Kawardha, Forest Division Kawardha, Forest Range Sahaspur Lohara

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Revenue Village Where Block situated	Khasara No.	Area in Hectare		Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	Machapani	Kundpani	183	9.280	**North** :	Boundery line of Kundpani village of Temporary Pillar No. 12, 13, 14, 15, 16 and 01.
			184	10.283	**East** :	Boundary line of Kundpani village Temporary Pillar No. 1, 2, 3 and 4.
			186	12.055	**South** :	P. F. Block Machapani Comportment, No. 381 Pillar No. 04 to 11.
			187	4.882	**West** :	Boundary line Kundpani village Temporary Pillar No. 11 to 12.
			4	**36.500**		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAUSHLENDRA SINGH, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 23 अप्रैल 2009

क्रमांक 1839/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	दुग्गी	1.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंघत जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां/चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 23 अप्रैल 2009

क्रमांक 1839/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	सिंघत	3.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंघत जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां/चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2008-2009.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	डिडौल प. ह. नं. 17	4.11	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	विचारपुर-डिडौल के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जाटम, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	108	0.08
	145	0.02
योग	2	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम डोंगाम जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-भटगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.81 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	11	0.04
	12	0.20
	13	0.10
	14/2	0.72
	14/3	0.77
	14/4	1.04
	15/1, 16/1	0.14
	15/2, 16/2	0.57
	17/1	0.16
	17/2, 18	0.07
योग	10	3.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हारडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.73 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	106/1	0.24
	106/2	0.90
	106/3	0.38
	106/4	0.16
	107	0.10
	110/1	0.43
	110/2, 110/3	0.70
	110/4, 110/5, 110/5	0.95
	112	0.72
	118/2	0.15
योग	10	4.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-झल्फा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.48 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	118/2	0.06
	119/2	0.54
	119/1	0.28
	120	0.07
	121	0.24
	123	0.09
	126	0.34
	130	0.20
	122	0.19
	124	0.03
	127	0.20
	128/2	0.09
	129	0.16
योग	13	2.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़ीपार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
354	0.23
353	1.75
352	0.68
265	0.60
266	0.17
277	0.05
278/1	0.10
278/4	0.48
278/2	0.37
278/5	0.05
278/3	0.56
275	0.38
283/1	0.07
283/3	0.55
283/4	0.32
283/5	0.30
284/1	0.80
284/3	0.62
287/1	0.23
288/1	0.80
288/3	0.85
289/2	0.30
307	1.46
308/1	0.08
336	0.07

(1)	(2)
338/1	0.05
334	0.74
335/1, 335/2	1.00
418/1	0.16
418/2	0.38
332	0.76
412	0.75
413, 414	0.55
405	0.40
402/1	0.65
402/2	0.17
408/2	0.26
408/3	0.58
403	0.10
406	0.95
407	0.45
योग 41	19.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-सेवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
49/1	0.36
44/1	0.26
44/2	0.28
42	0.70
39/1	0.29
39/4	0.21
39/7	0.27
39/9	0.28
35/1	0.29
38/3	0.02
38/4	0.30
38/5	0.50
38/21	0.35
38/13	0.30
41	0.70
38/16	0.40
22/8	0.27
22/3	0.74
38/6	0.40
32/3	0.20
22/4	0.03
32/5	0.15
32/6	0.15
31	0.14
171/1	0.04
173/2	0.38
172	0.35
174	0.04
179	0.13
175	0.24
178	0.65
180	0.02
181	0.05
188	0.25
189/2	0.35
190	0.32
191/3	0.04
192/2	0.20
192/1	0.19
192/6	0.19
192/5	0.22
192/3	0.15
192/8	0.19

(1)	(2)
206/1	0.19
286/5	0.19
207/1	0.36
208/2	0.15
208/3	0.15
217/1	0.07
217/2	0.07
218/1	0.37
218/3	0.37
271/2	0.55
271/7	0.01
271/4	0.24
271/9	0.25
271/14	0.30
271/15	0.20
235/1	0.03
270/1	0.17
270/2	0.18
270/3	0.17
269/1	0.02
269/2	0.07
250/1	0.12
250/2	0.42
250/3	0.03
267/1	1.20
267/16	0.46
267/7	0.15
267/8	0.25
267/3	0.20
267/9	0.25
267/10	0.10
267/13	0.10
267/5	0.10
282/5	0.15
282/7	0.15
51	0.20
योग 79	19.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-रहंगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1009	1.70
योग	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमिं की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.24 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
88	0.22
89/3	0.76
130	1.34
132/1	0.52
139/1	0.15
139/2	0.13
141/1	0.10
142/3	0.20
144/5	0.62
142/2	0.20
योग 10	4.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2009

क्रमांक/आब./बकाया/2009/959.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा. मा. क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1/बी/124 (5) 05-06	श्री विवेक महर्षि वल्द जगदीश चन्द्र महर्षि रामसागर पारा, रायपुर.	केबल मनोरंजन	2004-2005	2,54,404/-

वाय मेश्राम,
अति. तहसीलदार (आबकारी).

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर-492001

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2009

क्र. याचिका क्र. 2-05/2009/603.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 (1) आदेशित करती है कि कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सही मीटर की स्थापना के बिना विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगा. चूंकि तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने नियत दिनांक से दो वर्ष के भीतर शतप्रतिशत मीटरीकरण का काम पूरा नहीं किया था, अत: इस आयोग ने अधिनियम की धारा 55 (1) के द्वितीय परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य में तत्समय मीटरीकरण की स्थिति, मीटर प्राप्त करने एवं उसकी स्थापना में लगने वाले समय को देखते हुए आदेश दिनांक 31-01-2008 द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा का विस्तार मार्च 2009 के अंत तक कर दिया था. इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुई थी. इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के निवेदन और तत्समय कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने समय सीमा मार्च 2007 से बढ़ाकर 30-09-2008 और तत्पश्चात् 31-03-2009 तक बढ़ा दी थी. उस समय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने 31-03-2009 तक शतप्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य अभियंता (संचा/संधा) तथा मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) तैयार की गई संयुक्त कार्य योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी. मंडल ने पुन: इस कार्य में चूक की है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तराधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने अब शतप्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय सीमा को 31-03-2010 तक पुन: बढ़ाने की मांग की है. मीटर रहित उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और इलेक्ट्रो मेकेनिकल मीटरों के इलेक्ट्रानिक मीटरों में प्रतिस्थापन की आवश्यकता को देखते हुए आयोग के अधिनियम की धारा 55 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा राज्य में मीटरीकरण का कार्य पूरा करने की अवधि को 30-09-2009 तक बढ़ाया गया है.

No. Petition No. 2-05/2009/603.—Section 55(1) of the Electricity Act, 2003 (the Act) mandates that 'no licensee shall supply electricity, after the expiry of two years from the appointed date except through installation of a correct meter.' Since cent percent meterization could not be completed by the erstwhile Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB) within two years from the appointed date, this Commission, in exercise of its powers conferred under the second proviso to section 55 (1) of the Act, and looking to the current status of meterization, in the State the time taken in procurement of meters and its installation, had extended the time limit to provide meters for consumers of all categories of CSEB upto end March 2009, vide order dated 31-01-2008. The notification to this effect was published in Chhattisgarh Rajpatra. Before that on the request of CSEB and taking into consideration the progress of work at that time, the Commission had extended the time limit from March 2007 to 30-09-2008 and subsequently up to 31-03-2009. The CSEB then had submitted a joint action plan prepared by the Chief Engineer (O & M) and the Chief Engineer (S&P), to achieve cent percent meterization by 31-03-2009. The Board has again defaulted in this task.

The Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. (CSPDCL), the successor to CSEB has now requested for further extension of time upto 31-03-2010 for achievement of cent percent meterization. Looking to the large number of un-metered consumers and the requirement of replacement of electro-mechanical meters into electronic meters in large number by the CSPDCL, the Commission, in exercise of power vested under section 55(1) of the Act aforementioned has extended the period of completion of meterization in the State by six months upto 30th September 2009.

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2009

क्रमांक 60/चार-9-12/2008.—श्री मैनदास माहिलकर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव दिनांक 31-10-2008 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 149 (एक सौ उनचास) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.